

सेवा में

द्वारा पोस्टमास्टर नवाबगंज कानपुर

25-09-2017


केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

परिवहन भवन 1 संसद मार्ग नई दिल्ली-110001

विषय:-सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

- 1-कृपया सूचना दे कि नेशनल हाइवे पर बने सड़क पर बने सभी प्रकार की चौपहियों वाहन से ट्रोल बसूल करने के सभी नियम, शर्तें, व नियमावली की प्रमाणित प्रति देने की कृपा करें।
- 2-कृपया सूचना दे कि अगर कोई चौपहिया वाहन दोनो तरफ की पर्ची आने जाने का कटाता है तो कितने घंटे तक वह पर्ची वैध होती है।
- 3-कृपया सूचना दे कि अगर कोई चौपहिया वाहन एक तरफ जाता है तो कितने समय बाद उसको दुबारा आने पर ट्रोल देना पड़ेगा।
- 4-कृपया सूचना दे कि कोई चौपहिया वाहन एक तरफ पर्ची कटाता है जाने की तो उसी पर्ची पर 5 मिनट बाद उसी पर्ची पर निशुल्क आ सकता है कि दुबारा उसे फिर ट्रोल टैक्स देना पड़ेगा।
- 5-कृपया सूचना दे कि चौपहिया वाहन जो ट्रोल टैक्स देता है उस वाहन को कौन कौन सी सुविधाएं नेशनल हाइवे वाले निशुल्क रूप से प्रदान करता है

  
रवि कान्त शुक्ला 9369203347

117/क्यू/94 एलआईसी सो0 शारदा नगर कानपुर

संलग्नक :-सूचना अधिकार अधिनियम के तहत गरीबी रेखा का आय प्रमाण पत्र 340211501345  
.....संलग्नक है जिसमें सूचना निशुल्क है।





POSTMASTER  
NAWABGANJ H.P.O  
KANPUR-208007

प्रेषक  
From

सेवा में  
To.

केंद्रीय डाक सूचना अधिकारी  
राष्ट्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
परिवहन मंत्रालय संसद भवन (उत्तर दिशा)  
दिल्ली-110001

क्रम संख्या  
No.

दिनांक  
Date

01/09/17 / डाक नं- 438/17

विषय  
Subject

सूचना अधिकार अधिनियम के  
अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए

अर्थात्

श्री रविकान्त शुक्ला 117/8/94 एक अरिबी  
सोसायटी शारदा नगर कानपुर-20 का हार्ड  
कॉपी RTI से सम्बन्धित है आपके  
कार्यालय में अतिरिक्त कार्यवाही प्रेषित किया  
जाता है।

RTI

880  
880 (RTI)  
23/9/17

DA  
2

POSTMASTER  
NAWABGANJ H.P.O  
KANPUR-208007

प्रतिनिधि -

रविकान्त शुक्ला

117/8/94 एक अरिबी सोसायटी शारदा  
नगर कानपुर

सूचना

Scam send to  
ABET (Toll) Sh. G. Deshpande

O/o C. P. Section (RTH)  
Dairy No. 1248615/2017  
Date. 23/9/2017



Sh. Deshpande

Phone  
28109117

23/9  
880/RTI



# उत्तर प्रदेश शासन

कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र

जिला कानपुर नगर  
तहसील कानपुर  
आवेदन क्र० 15340010001975  
प्रमाणपत्र क्र० 340211501345

जारी दिनांक: 29/01/2015

यथा विभागीय (क्षेत्रीय भूलेख निरीक्षक तथा लेखपाल की) जांच/रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री  
माता का नाम  
मकान नम्बर  
मोहल्ला  
ग्राम  
तहसील  
जनपद

श्री रविकान्त शुक्ला  
श्री कमलाकान्त शुक्ला  
श्रीमती विजय लक्ष्मी  
117/Q/94  
एल०आई०सी० सोसाइटी

कानपुर  
कानपुर नगर

उत्तर प्रदेश का/की निवासी है व उसका वर्तमान पता मकान नम्बर 117/Q/94 ग्राम मोहल्ला एल०आई०सी० सोसाइटी तहसील कानपुर, जनपद कानपुर नगर उत्तर प्रदेश है। आवेदक की मासिक आय अंकों में रु 2000 व शब्दों में रु. Two Thousand है। जिसके अनुसार कुल वार्षिक आय रु. 24000 व शब्दों में रु. Twenty Four Thousand है। आय का स्रोत मजदूरी है। यह प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष तक मान्य रहेगा।



जारी कर्ता केन्द्र: कविता श्रीवास्तव

पद: कविता श्रीवास्तव, केन्द्र प्रभारी  
11/38 Ashok Nagar  
Thana, कानपुर, Kanpur  
Nagar

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर एवं मुहर

Srivastava  
Anil  
Kumar

Digitally Signed by  
Srivastava Anil  
Kumar Ch/avenue,  
OU-UP, Govt.,  
CHIN, CN-Srivastava  
Anil Kumar,  
SHUTTAR  
PRADESH

सकल अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित

कानपुर, कानपुर नगर

दिनांक: 29/01/2015

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मों द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अभिलेखित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

*Self Attested*  
25/09/17